न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
455 / 2022	29.11.2022	27.07.2023

अनवान

1. श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री सत्यनारायण विजयवर्गीय निवासी विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा राज0

प्रार्थिया

बनाम

1. शंकर गाडरी पुत्र श्री प्यारा गाडर निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. प्रदीप नुवाल निवासी आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :— अधिवक्ता श्री अनिल कुमार धाकड़— प्रार्थिया
एक तरफा— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम ::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम आकोला, पटवार हल्का सिडड़ियास, भू.अ.नि. क्षेत्र महुआकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी 2071—2074 के खाता संख्या 28 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 289 / 1 रकबा 0.0967 है0 भूमि प्रार्थिया के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है और विपक्षीगण आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थिया की उक्त वर्णित आराजियात का पूर्व में सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे मेड़ पाली की घास काटने एवं फसल काश्त करते समय प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थिया की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा